

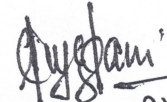
आम सूचना

मेसर्स डी.बी.आर. इंडस्ट्रीज, प्रोप0-श्री नंदकुमार सदाशिव बाबर, पिता श्री सदाशिव बाबर, निवासी-B-14, भमित एक्जॉटिका गंगापुर रोड, राठी अमराई, पुराना गंगापुर नाका, नासिक, सावरकर नगर, नासिक, (महाराष्ट्र) को सीएसआईडीसी लिमिटेड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र-तेन्दुआ फेस-2, जिला-रायपुर (छ0ग0) में भूखण्ड क्रमांक 02, रकबा 20,000 वर्गफीट (0.46 एकड़), 1858.736 वर्गमीटर (0.1858 हेक्टेयर) भूमि का आबंटन किया जाकर पट्टाभिलेख दिनांक 11/12/2020 को किया गया।

इकाई द्वारा निष्पादित पट्टाविलेख की कंडिकाओं का उल्लंघन करने के कारण भूमि निरस्तीकरण आदेश क्रमांक सीएसआईडीसी/भू0आ0/2025/629, दिनांक 12/01/2026 द्वारा भूमि आबंटन आदेश एवं पट्टाभिलेख निरस्त किया गया था। निरस्तीकरण आदेश के विरुद्ध इकाई द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

पत्र क्रमांक सीएसआईडीसी/भू0आ0/2026/12598 दिनांक 13/03/2026 के द्वारा "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015" (यथा-संशोधित) में प्रावधानित नियमानुसार उक्त भूखण्ड पर निर्मित परिसम्पत्तियों को 01 माह के भीतर हटाकर निरस्त भूखण्ड का आधिपत्य कार्यालय को सौंपने हेतु जारी किया गया है, जिसमें नियमानुसार एकपक्षीय आधार पर पंचनामा बनाकर भूखण्ड का आधिपत्य प्राप्त करने की कार्यवाही की जावेगी का लेख किया गया था।

अतः "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015" (यथा-संशोधित) प्रावधानित नियमानुसार पूर्व में जारी भूमि-निरस्तीकरण आदेश को प्रभावशील मानते हुये भूमि का आधिपत्य पंचनामा के माध्यम से प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है, यदि पंचनामा कार्यवाही पर किसी व्यक्ति/कार्यालय/वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर लिखित में मय अभिलेखों में अधोहस्ताक्षकर्ता के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए भूमि का आधिपत्य प्राप्त कर लिया जाएगा एवं इस संबंध में कोई दावा स्वीकार योग्य नहीं होगा।



(ए.एच. यजदानी)

मुख्य महाप्रबंधक(भू-आबंटन)

सी.एस.आई.डी.सी